

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत

उपरवाह अधिकारी

मुकाम

पमाना

किस्त मुकदमा

सुराही कांड

बनाम

नयी बजौरा

नं.

प्राप्ति पर 22/12/18

सन्

13/11/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीज में जारी हुए
26/18	प्राप्ति पर 22/12/18 को सुराही कांड के लिए नोटिस रखा कर पत्रावली दिनांक 14/11/18 को भेजा है।	
14/18	पीठासीन अधिकारी - युगाब अधिकारी हेतु जमाना पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9/11/18 रीडर एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0	
9/11/18	वकुलाय उपर जमाना प्राप्ति पर 22/12/18 को सुराही कांड के लिए नोटिस रखा कर पत्रावली दिनांक 20/11/18 को भेजा है।	
20/18	पीठासीन अधिकारी - युगाब कापी के लिये पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/12/18 रीडर एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0	

13/5/21 कोविड महामारी
पीठासीन अधिकारी
पत्रावली क्रमानुसार दिनांक 17/5/21 को पेश हो

रीडर

एस0डी0ओ0/एस0डी0एन0 बयाना

पंचायत कुलाय काय नैव्यस्त
17/5 पीठासीन अधिकारी
पत्रावली क्रमानुसार दिनांक 20/9/21 को पेश हो

[Signature]

एस0डी0ओ0/एस0डी0एन0 बयाना

20/9/21

कुलाय 3901 प्रमाण शूल 915 के लाने
दिनांक 20/9/21 को पेश हो

02/10/21

प्रमाण आज प्रशासन शाखे में सगे कठिण
2021 स्थिति कोच वीरभद्रा पेश हुकरी-
पक्षाकाल ने राजीनामा पेश कर अपुन
मूल वाद रखाजि कराना पर उवा है।
मूल वाद के रखाजि होने पर प्रमाणों
पत्र धारा 212-ए Act का कोर कोरिष्य
नहीं रखा है। अतः शायदा पत्र प्राप्ति
वाजीगण के मूल वाद के रखाजि होने
की दशा में वही स्तर पर रखाजि किया
जाता है। पत्रावली के मूल प्रमाण
दिवस नम्बर से कम है। वाद-तबनील
दाखिल 5पहर है। अतः 10/10 कोच
वीरभद्रा सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)